भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5205
जिसका उत्तर बुधवार, 24 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या

5205. श्री भर्तृहरि महताब :

श्री राहुल रमेश शेवले :

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत और वास्तविक संख्या में अंतर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या के अनुपात में गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या न्यायाधीशों की स्वीकृत और वास्तविक संख्या में अंतर होने के कारण ऐसे न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस सबंधं में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या और कार्यरत पद संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण उपाबंध पर दिया गया है ।

(ख) से (घ) : 245 वीं रिपोर्ट (2014) में , विधि आयोग ने यह संप् रेक्षण किया है कि प्रति व्यक्ति मामलों का फाइल किया जाना संपूर्ण भौगोलिक यूनिटों में सारवान रूप से परिवर्तित होता है क्योंकि फाइल किया जाना जनसंख्या की आर्थिक और सामाजिक दशाओं से संबद्ध है । अतः , विधि आयोग ने न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात को देश में न्यायाधीशों की पद संख्या की पर्याप्तता का अवधारण करने संबंधी वैज्ञानिक मानदंड के रूप में नहीं माना है ।

विधि आयोग ने यह पाया है कि देश में सब विभिन्न उच्च न्यायालयों में आंकड़ा संग्रहण के प्रति संपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में , मामलों के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या की संगणना करने और साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि नया बैकलॉग सृजित नहीं किया

जाता है "निपटान की दर" पद्धति अधिक व्यावहारिक और उपयोगी है । अगस्त ,2014 में , उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंध प्रणाली समिति (एनसीएमएस समिति) से यह कहा था कि वह विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की समीक्षा करे और इस संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे । राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंध प्रणाली समिति (एनसीएमएस) ने मार्च ,2016 में उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । रिपोर्ट में , अन्य बातों के साथ -साथ , यह संप्रेक्षण किया गया है कि दीर्घकाल में , अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीश पद संख्या का प्रत्येक न्यायालय के मामला भार के निपटारे के लिए अपेक्षित "न्यायिक घंटों" की कुल संख्या अवधारित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति द्वारा निर्धारण करना होगा । इसी बीच , समिति ने एक "भारित" निपटान दृष्टिकोण अर्थात् स्थानीय परिवेश में मामलों की प्रकृति और जटिलता के अनुसार भारित निपटान का प्रस्ताव किया है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के उसके अपने आदेश तारीख 02.01.2017 के निदेशानुसार , न्याय विभाग ने सभी राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंध प्रणाली समिति (एनसीएमएस) की अंतरिम रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित कर दी है जिससे कि उन्हें जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका की अपेक्षित पद संख्या का अवधारण करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु समर्थ बनाया जा सके ।

उच्चतर न्यायपालिका में मामलों की लंबित संख्या न्यायाधीशों की कमी के कारण ही नहीं है किन्तु विभिन्न कारणों से भी है , जैसे - (i) राज्य और केन्द्रीय विधान की बढ़ती हुई संख्या , (ii) प्रथम अपीलों का संचयन , (iii) कुछ उच्च न्यायालयों में मामूली सिविल अधिकारिता की निरंतरता , (iv) उच्च न्यायालयों में जाने वाले अर्ध न्यायिक मंचों के आदेशों के विरूद्ध अपीलें , (v) पुनरीक्षण /अपीलों की संख्या , (vi) बारंबार स्थगन , (vii) रिट अधिकारिता का बेहताशा प्रयोग, (viii) सुनवाई के लिए मामलों को मॉनीटर करने , उनका पता लगाने और उनके समूहन के लिए पर्याप्त व्यवस्थाओं का अभाव , (ix) न्यायालय की अवकाश अवधि की दीर्घ कालावधि , और (x) न्यायाधीशों को प्रशासनिक प्रकृति के कार्य का समनुदेशन आदि ।

सांविधानिक कार्य ढांचे के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति सम्बन्धित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है । सितम्बर ,2016 में , केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को लिखा था कि वे जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की काडर पद संख्या

में वृद्धि करें और राज्य न्यायपालिका को भौतिक अवसंरचना उपलब्ध कराएं । यही मई , 2017 में दोहराया गया था । अगस्त , 2018 में , लंबित मामलों की बढ़ती हुई संख्या के संदर्भ में , केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री ने उच्च न्यायालयों के सभी मुख्य न्यायमूर्तियों को लिखा है कि वे रिक्तियों की प्रास्थिति को नियमित रूप से मॉनीटर करें और मलिक मजहार सुल्तान मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विहित समय अनुसूची के अनुसार रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के साथ उचित समन्वय सुनिश्चत करें । रिक्तियों का भरा जाना , 2018 की स्वप्रेरणा रिट याचिका (सिविल) संख्या 2 में उच्चतम न्यायालय द्वारा भी मॉनीटर किया जा रहा है ।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के पदों को भरने के सम्बन्ध में अनुसरण करने के लिए मास जनवरी , 2018, मास जुलाई , 2018 और मास नवम्बर , 2018 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च न्यायालयों के सभी महा रजिस्ट्रारों और सभी राज्य सरकारों /संघ राज्यक्षेत्रों के विधि सचिवों के साथ क्रमबद्ध बैठकें आयोजित की गई थीं । न्याय विभाग ने , मासिक आधार पर जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या था रिक्तियों की रिपोर्टिंग तथा मॉनीटरी के लिए अपनी वेबसाइट पर एक वेबपोर्टल डाला है ।

इन रिक्तियों को सहज और समयबद्ध रीति में नियमित रूप से भरे जाने को सुकर बनाने के लिए , न्याय विभाग ने अपने पत्र तारीख 28 अप्रैल , 2017 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय को केन्द्रीय चयन तंत्र के सृजन का सुझाव दिया है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने 9 मई , 2017 को सरकार के सुझावों को स्वप्रेरणा रिट याचिका में संपरिवर्तित कर दिया है और सभी राज्य सरकारों (जिनमें संघ राज्यक्षेत्र भी हैं) को निदेश दिया है कि वे उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री में शपथ पत्रों के माध्यम से अपने प्रत्युत्तर और सुझाव फाइल करें ।

****

उपाबंध

'उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की पद संख्या' के बारे में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5205 जिसका उत्तर तारीख 24.07.2019 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(01.07.2019 तक)

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
1	इलाहाबाद	160	105
2	आंध्र प्रदेश	37	13
3	बोम्बे	94	66
4	कलकत्ता	72	42
5	छत्तीसगढ़	22	15
6	दिल्ली	60	39
7	गुवाहाटी	24	19
8	गुजरात	52	28
9	हिमाचल प्रदेश	13	10
10	जम्मू-कश्मीर	17	09
11	झारखंड़	25	19
12	कर्नाटन	62	32
13	केरल	47	34
14	मध्य प्रदेश	53	33
15	मद्रास	75	58
16	मणिपुर	05	04
17	मेघालय	04	02
18	ओडिशा	27	14
19	पटना	53	30
20	पंजाब और हरियाणा	85	50
21	राज्यस्थान	50	24
22	सिक्किम	03	03
23	तेलंगाना	24	11
24	त्रिपुरा	04	03
25	उत्तराखंड	11	10
कुल		**1079**	**673**

****